


कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक के०डब्ल्यू० 1/1-03 प्रशा० (1)

दिनांक, पंचकूला 10/03/2016

अधीक्षक संसदीय कार्य, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/6/2009-1सं० का० दिनांक 08.03.2016 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करने से सम्बन्धित है। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। निर्देशों की दृढता से पालना की जाए।

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
7. मुख्यालय के सभी स्थापना सम्बंधित शाखाओं के अधिकारी/अधीक्षक।
8. अधीक्षक प्रशासन (मौलिक शिक्षा निदेशालय)।
9. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/पी०ए०, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1, II एवं III।
11. प्रोद्योगिकी अधिकारी (आई०टी०सैल) मुख्यालय।
12. प्रशासन शाखा में कार्यरत सभी सहायक।


अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला 10/3/16

1257 Admr
08.03.2016

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

कमांक 1/6/2009-1सं0 का0

CS No. 11053 ACSSE
Dt. 8.3.16

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 2016

विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश


हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 14 मार्च, 2016 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

(Keshni Anand Arora)
ACSSE

1. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/ विभागाध्यक्ष किसी

अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,



अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 2016

कमांक 1/6/2009-1सं0 का0


एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।



अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।



अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: कमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 2016.

8.3.16

055
2028
SPD

(07)
09.03.16

1009

S. Admr.

9/3/16

